कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं 676
25 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय- उत्तराखंड में फसल बीमा एवं प्रदान की गई क्षतिपूर्ति राशि
676 **श्री महेंद्र भट्ट:**
क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) विगत पांच वर्षों में उत्तराखंड राज्य में अधिकतर किन किन फसलों-का बीमा कराया गया है; और
(ख) बीमित फसलों को क्षति होने पर अभी तक कुल कितने किसानों को क्षति पूर्ति राशि प्रदान की गई है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): पिछले पांच वर्षों के दौरान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) के अंतर्गत, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों का विवरण नीचे दिया गया है:

योजना का नाम	खरीफ सीजन	रबी सीजन
पीएमएफबीवाई	फिंगरमिललेट (रागी/ मंडिका), पैडी(धान)	मसूर (लेंटिल), गेहूं
आरडब्ल्यूबीसीआईएस	मिर्च, फ्रेंच बीन - हिल्स, अदरक, आलू, टमाटर,	सेब, सिट्रस फल, कीवी फल, लीची, आम, आड़ू, मटर, आलू, टमाटर

(ख): पिछले पांच वर्षों अर्थात वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान, उत्तराखंड में पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस के तहत, बीमित फसलों के नुकसान के लिए 6.85 लाख किसान आवेदनों के लिए 965.7 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया है।
